

**नये व्यापारी अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन (प्रपत्र बी)
भरने के मार्गदर्शन**

**GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FOR NEW DEALERS' LICENCE
(FORM - B)**

जो लोग नए व्यापारी लाइसेंस के लिए आवेदन भरना चाहते हैं उन्हें प्रपत्र बी में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए जो रबड़ बोर्ड की वेबसाइट rbegp.in में उपलब्ध है:

Those who wish to apply for new Dealer's Licence should apply online for the same in Form B which is available in the Rubber Board's website: rbegp.in.

I. आवेदन प्रपत्र Application Form

आवेदन प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा जाए। अगर आप साझेदारी में व्यापार करना चाहते हैं तो सभी साझेदारों के नाम व पूर्ण आवासीय पते लिख दें तथा उन सब के द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। निजी लिमिटेड कंपनी के संदर्भ में प्रबंध निदेशक के नाम और आवासीय पता दिया जाना चाहिए। सहकारी समितियों के संदर्भ में सचिव के नाम और आवासीय पता दिया जाना चाहिए।

The application form should be completely filled in. If you intend to carry on the business under partnership, the name and full residential address of all the partners should be furnished and the application should be signed by all of them. In the case of private limited company, the name and residential address of the Managing Director should be furnished. In the case of Co-operative Societies, name and residential address of the Secretary should be furnished.

II. व्यापार एवं भंडारण स्थान Place of Business and Storage

प्रपत्र बी में मद संख्या 2 व 3 के विरुद्ध व्यापार एवं भंडारण के लिए प्रस्तावित स्थान का नाम, हो तो, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आबंटित मकान नं./कमरा नं. पिनकोड सहित डाक पता आदि विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। परिसर का अलग दरवाजा एवं अलग पहचान होना चाहिए। यह आवेदक के संपूर्ण कब्जे में होना चाहिए तथा निर्माण में सामान्य रूप से पक्का होना चाहिए। एक ही कमरे में एक से अधिक व्यापारियों को कार्य करने नहीं देंगे। अगर व्यापार परिसर आवास से संबद्ध हो तो उस मकान का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि व्यापार परिसर स्वतंत्र हो और आवासीय परिसर से अलग हो तथा सार्वजनिक सड़क से सीधे संपर्क में हो। व्यापार परिसर में पर्याप्त भंडारण सुविधा उपलब्ध न हो तो अलग भंडारण व्यवस्था हेतु आवेदक द्वारा प्रबंध किया जाना चाहिए।

Full details of the proposed place of business and storage such as name of building, if any, building number/room number allotted by local authorities, postal address with pin code, etc. should be furnished against items 2 and 3 in the Form 'B'.

The premises should have separate enclosures and separate entity. It should be in the exclusive possession of the applicant and it should be reasonably sound in construction. More than one dealer will not be permitted to function in the same room. If the business premises is attached to a residence, the nature of the construction of the premises in the building should be such that the business premises is independent and separate from that of the residential portion and shall have direct access from the public road. If sufficient storage facilities are not available in the business premises arrangements for separate storage should be provided by the applicant.

III. अनुज्ञापत्रशुल्क का प्रेषण Remittance of Licence Fee

एनईएफटी के माध्यम से नीचे दिए खाते में अनुज्ञापत्र शुल्क प्रेषित किया जा सकता है।

Licence fee can be remitted in the following account through NEFT:

खाता सं. Account No.	बैंक व शाखा Bank & branch	खाता नाम Account Name	आई एफ एस सी कोड IFSC code	3 वर्षों के लिए लाइसेंस शुल्क Licence fee for 3 years
3173717326	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रबड़ बोर्ड शाखा Central Bank of India, Rubber Board Branch	लाइसेंसिंग व उत्पाद शुल्क खाता Licensing & Excise Duty Account	CBIN0284150	₹ 3540/- (18% व से कर सहित including GST @ 18%)

सुलभ संदर्भ हेतु आवेदन के अग्रपेज पत्र में यूटीआर नं. तथा तारीख सूचित करें। शुल्क का प्रेषण उप निदेशक (लाइसेंसिंग), रबड़ बोर्ड के नाम कोट्टयम में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भी किया जा सकता है।

The UTR number and date shall also be indicated in the forwarding letter of the application for ready reference. It can also be remitted by Demand Draft drawn in favour of the **Dy. Director (Licensing), Rubber Board, payable at Kottayam.**

IV. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।

The application shall accompany the following documents

1	यथास्थिति व्यवस्थापक/साझेदार/निदेशक के पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकार द्वारा जारी किसी पहचान पत्र की स्वयं अनुप्रमाणित प्रति।	Self attested copy of any identity card issued by the Government in respect of proprietor/partners/Director as the case may be such as Adhar card, Voters Identity card, Pan card, Driving licence as a proof of identity
2	आवासीय पता के प्रमाण के रूप में	Self attested copy of any of the above or

	उपर्युक्त में किसी एक या बैंक विवरणी/टेलिफोन बिल/बिजली बिल के स्वयं अनुप्रमाणित प्रति।	bank statement/Telephone bill/Electricity bill as proof of residence address
3	*व्यापार स्थान तथा भंडारण स्थान के कब्जे के अधिकार साबित करने के दस्तावेज	* Documents to prove the right of possession of the place of business and place of storage.
4	**साझेदारी संस्था/निजी लिमिटेड कंपनी/सहकारी समिति के समर्थन में प्रस्तुत करने के दस्तावेज	**Documents in support of partnership firm/private limited company/ co-operative society

*व्यापार स्थान तथा भंडारण स्थान के कब्जे के अधिकार साबित करने के दस्तावेज (प्रस्तावित व्यापार स्थान तथा भंडारण स्थान आवेदक के स्वामित्व के हो तो मद सं.1 तथा 2 के अधीन के दस्तावेज आवश्यक नहीं है।) **Documents to prove the right of possession of the place of business and place of storage.** (If the proposed place of business and place of storage are owned by the applicant/documents under items (i) and (ii) are not required)

1) मकान कर रसीद/स्वामित्व प्रमाणपत्र की स्वयं अनुप्रमाणित प्रतिलिपि।

Self attested copy of the latest building tax receipt/ownership certificate.

2) अद्यतन किराया रसीद

Latest rent receipt

3) अगर किराये पर लिया है तो न्यूनतम ₹100/- मूल्य के स्टाम्प कागज़ में दोनों मकान मालिक तथा आवेदक द्वारा हर एक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित किराया करार की स्वयं अनुप्रमाणित प्रतिलिपि।

Self attested copy of the rent agreement on stamp paper worth ₹100/- signed by both the building owner and the applicant, if taken on rent.

**** साझेदारी संस्था, निजी लिमिटेड कंपनी या सहकारी समिति के मामले में प्रस्तुत करने के दस्तावेज Documents to be produced in the case of partnership firm, private limited company or co-operative society**

1) अगर आवेदक एक साझेदारी संस्था हो तो साझेदारी विलेख की स्वयं अनुप्रमाणित प्रतिलिपि

A copy of the partnership deed duly Self attested if the applicant is a partnership firm

2) आवेदक एक निजी लिमिटेड कंपनी हो तो कंपनी के निगमन प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि तथा कंपनी के ज्ञापन एवं संगम विलेख की प्रतिलिपि।

A copy of the Certificate of Incorporation and a copy of the Memorandum and Articles of Association of the company if the applicant is a private limited company.

3) अगर आवेदक एक सहकारी समिति हो तो समिति के उप नियम की स्वयं अनुप्रमाणित प्रति तथा संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रति।

Self attested copy of the bye-law of the society if the applicant is a co-operative society and copy of registration certificate issued by the concerned Registrar.

आवेदन भरने के बाद उसे पहले ऑनलाइन में प्रस्तुत करना चाहिए तथा उसका एक प्रिंट आउट निकालें। साझेदारी संस्था हेतु व्यवस्थापक/सभी साझेदारों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर करेंगे/प्राइवेट लि. कंपनी हो तो प्रबंधक निदेशक द्वारा/सहकारी समिति हो तो सचिव हस्ताक्षर करेंगे तथा उपर्युक्त संबंधित दस्तावेजों के साथ निम्न लिखित पते पर भेज देंगे।

After filling up the application first it should be submitted online and then take a print out. It shall be duly signed by the proprietor/all the partners in case of partnership/Managing Director in case of Pvt. Ltd. Company/Secretary in case of Co-operative Society and to be send along with above relevant documents to:

उप निदेशक (लाइसेंसिंग) लाइसेंसिंग प्रभाग, रबड़ बोर्ड मुख्य कार्यालय कोट्टयम- 686 002, केरल	The Deputy Director (Licensing), Licensing Division, Rubber Board Head Office, Kottayam - 686 002, Kerala.
---	---

रबड़ बेचने या अन्य तरह से निपटाने तथा खरीदने या अन्य तरह से अर्जित करने के इच्छुक सभी व्यक्तियों को रबड़ बोर्ड द्वारा जारी वैध लाइसेंस रखना चाहिए; अन्यथा वे कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होंगे। रबड़ बोर्ड को लाइसेंस शुल्क के प्रेषण के साथ लाइसेंस के आवेदन प्रपत्र की केवल प्रस्तुति से आवेदक वैध लाइसेंसधारी नहीं समझेंगे जब तक कि आवेदक के नाम रबड़ बोर्ड द्वारा लाइसेंस जारी नहीं किया जाता।

Every person who wants to sell or otherwise dispose of and by or otherwise acquire rubber should possess a valid licence issued by the Rubber Board; otherwise he shall be punishable with imprisonment or with fine or with both. Mere submission of application form for licence alongwith remittance of licence fee to Rubber Board shall not be deemed that the applicant is a valid licence holder unless the licence issued by the Rubber Board in favour of the applicant.

प्रेषक From

.....
.....
.....

दूरभाष / Phone:.....
मो. / Mob.:

ई मेल e-mail.....

सेवा में To

उपनिदेशक (लाइसेंसिंग) The Dy. Director (Licensing)

रबड़ बोर्ड मुख्यालय Rubber Board Head Office

कोट्टयम Kottayam – 686 002.

महोदय Sir,

रबड़ व्यापार करने हेतु रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 14 के अधीन अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए विचार करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ भेज रहा हूँ/ रहे हैं।

I/ We/ am/ are forwarding herewith the following documents for consideration of issue of licence to deal in rubber under Section 14 of the Rubber Act 1947

1. प्रपत्र बी में पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन।
Application in Form 'B' duly completed in all respects
2. 18% वस्तु सेवा कर मिलाकर ₹ 3540/- के अनुज्ञापत्र शुल्क एनईएफटी यूटीआर नं. /बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक द्वारा प्रेषित। बैंक ड्राफ्ट संलग्न है।
Licence fee of ₹ 3540/- (including GST @ 18%/-) remitted by NEFT/Bank Draft vide UTR No./Draft No..... Dated Bank Draft enclosed.
3. व्यापार एवं भंडारण के प्रस्तावित स्थान संबंधी स्वामित्व प्रमाणपत्र/ मकान कर रसीद/ किराया करार व किराया रसीद Ownership Certificate/ Building Tax Receipt/ Rent Agreement & Rent Receipt in respect of proposed place of business and storage.
4. पहचान प्रमाण के रूप में विधिवत् स्वयं अनुप्रमाणित आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पान कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति
Self attested copy of Adhar card/Voters Identity card/Pan card/Driving licence as a proof of identity
5. आवासीय पता के प्रमाण के रूप में विधिवत् स्वयं अनुप्रमाणित आधार कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/पान कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/बैंक विवरणी की प्रति।
Self attested Adhar card/Voters Identity card/ Pan card/ Driving licence/ bank statement/ Telephone bill/ Electricity bill as proof of residence address

6. मालिक/प्रत्येक साझेदार/ प्रबंध निदेशक का एक अतिरिक्त फोटोग्राफ

An extra photograph of the Proprietor/ each Partner/ Managing Director.

7. अगर आवेदक एक साझेदारी संस्था हो तो साझेदारी विलेख की स्वयं अनुप्रमाणित प्रतिलिपि/ आवेदक एक निजी लिमिटेड कंपनी हो तो कंपनी के निगमन प्रमाणपत्र तथा कंपनी के ज्ञापन एवं संगम विलेख की प्रतिलिपि/आवेदक एक सहकारी समिति हो तो समिति के उप नियम की स्वयं अनुप्रमाणित प्रतिलिपि तथा संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि।

A self attested copy of the partnership deed in case of partnership firm/ Certificate of Incorporation and a copy of the Memorandum and Articles of Association of the company in case of company/ bye-law of the society if the applicant is a co-operative society and copy of registration certificate issued by the concerned Registrar in case of co-operative society

मैं प्रमाणित करता हूँ / हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/ हमने मुझे/ हमें प्रेषित अनुदेशों में बतायी गयी सभी आवश्यकताओं का अब अनुपालन किया है।

I/We certify that I/ We have now complied with all the requirements mentioned in your instructions to applicants sent to me/ us.

भवदीय Yours faithfully,

स्थान **Place :**

दिनांक **Date :**

हस्ताक्षर **Signature:**

आवेदक का नाम **Name of the Applicant:**

प्रपत्र बी FORM B
[नियम 39 (1) देखिए See Rule 39 (1)]
रबड़ बोर्ड THE RUBBER BOARD

रबड़ के व्यापार करने हेतु विशेष अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन
Application for the issue of a Special Licence to deal in rubber

1. संस्था का नाम (साफ अक्षरों में)
Name of the firm (in block letters)
2. व्यापार स्थान का पूरा पता
Address in full of the place of business
3. भंडारण स्थान का पूरा पता
Address in full of the place of storage
4. व्यवस्थापक/भागीदार/निदेशक का पूरा नाम, उम्र
एवं स्थायी पता जैसा मामला हो
Full name, age and permanent address of Proprietor/
Partners/Directors as the case may be
5. (क) क्या आप रबड़ बोर्ड के अधीन अनुज्ञापत्रित
रबड़ व्यापारी रहे ?
(a) Have you been a licensed rubber dealer under
the Rubber Board?
(ख) हाँ तो व्यापारी पंजीयन संख्या उद्धृत करें
(b) If so, please quote your Dealer's Reg.No.
6. आप किस तारीख से रबड़ का व्यापार कर रहे हैं ?
From what date have you been dealing in rubber?
7. निवेश की गयी पूँजी या संस्था की वित्तीय स्थिति
Invested Capital or Financial Standing of the firm

8. पिछले पाँच वर्ष में हर एक वर्ष के दौरान आपके द्वारा खरीदे और बेचे गए रबड़ का कुल परिमाण ?

What was the total quantity of rubber purchased and sold by you during each of the previous five years?

वर्ष Year	खरीदे गए रबड़ (कि.ग्रा.में) Rubber Purchased (in kg.)	बेचे गए रबड़ (कि.ग्रा.में) Rubber Sold (in kg.)

(अगर यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो सन्निकट आंकड़े दिये जाएं)

(If accurate figures are not available approximate figures may be given)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त विवरणियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सच हैं।
I declare that the statements made above are true to the best of my knowledge and belief.

स्थान/Place :.....

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक/Date:.....

Signature of Applicant